

प्रेषक,

तहसीलदार,
रुद्रप्रयाग

सेवामें,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

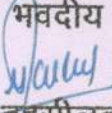
द्वारा उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
संख्या-११४/२०का०- 2021-22
महोदय,

दिनांक रुद्रप्रयाग, अगस्त 27, 2021

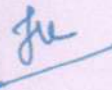
अपर जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के आदेश संख्या 4054/छब्बीस-24/2018-19 दिनांक रुद्रप्रयाग जून 04, 2021 के क्रम में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) के निर्माण हेतु हस्तांतरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्य हेतु 2.00 हे० भूमि के एवज में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था। पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 4338/छब्बीस-24/2018-19 दिनांक 09 जुलाई 2019 का निरस्त करते हुये शासनादेश संख्या 2173/XCIII (II)/2012-18 (120)/2021 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम गोरणा की ज०वि०र० खतौनी की श्रेणी 9-3 (ख)(2) (जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूहों) खाता सं० 10 जंगल के खसरा न०-02, रकवा 4.951 हे० मध्ये 4.000 हे० एवं खसरा सं०-271, रकवा 5.550 हे० मध्ये 4.000 हे० कुल रकवा 8.000 हे० भूमि को उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुपालन क्रम में सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक चोपता से अमलदरामद करवा कर नकल खतौनी अभिलेख हेतु सेवामें प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

तहसीलदार,
रुद्रप्रयाग।

5-1.



कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

पत्राक संख्या:- 390 / वै0सहा0 / विविध-2020 / 21

दिनांक 06 सितम्बर, 2021

प्रधानाचार्य,

राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता,

रुद्रप्रयाग।

विषय-

जनपद रुद्रप्रयाग में रा0पा0 चोपता रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तांतरण प्रस्ताव (संख्या- FP/UK/Others/44711/2020) के संबंध में।

उपरोक्त विषयक, अपने कार्यालय पत्र संख्या- 44/भूमि हस्तांतरण/2021-22 दिनांक 09 जून 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) के निर्माण हेतु हस्तांतरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्य हेतु 2.00 है0 भूमि के एवज में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तांतरित उपरान्त अमल दरामद करने की याचना की गयी।

उक्त के क्रम में तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या-978/र0का0-2021-22 दिनांक 27 अगस्त 2021 में उल्लेख किया गया है कि, पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 4338/छब्बीस-24/2018-19 दिनांक 09 जुलाई 2019 का निरस्त करते हुये, शासनादेश संख्या 2173/XCIII (III) /2012-18 (120)/2021 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में प्रस्तावित राजस्व ग्राम गोरणा की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9-3 (ख) (2) (जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूहों) खाता संख्या 10 जंगल के खसरा न0-02, रकवा 4.951 है0 मध्ये 4.000 है0 एवं खसरा सं0-271, रकवा 5.550 है0 मध्ये, 4.000 है0 कुल रकवा 8.000 है0 भूमि को उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति के क्रम में अभिलेखों में अमलदरामद किया गया, जिसकी नकल, खतौनी अभिलेख संलग्न हैं।

अतः तहसीलदार रुद्रप्रयाग की आख्या मूल में संलग्न कर प्रेषित।

संलग्न-यथोक्त।

(जय किशन)
आई0ए0एस0
उप जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Dr. Sanjit ji

hard transfer Ruben Baidya

?

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

महोदय,

राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) के निर्माण हेतु
हस्तांतरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्य हेतु २.०० हे० भूमि के
एक में दण्डात्मक क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को
हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था, महोदय मुताबिक
आदेश सं० २१७३/XVIII (II)/२०१२-१८ (१२०)/२०१० राजस्व
अनुभाग-२ दिनांक-१७ दिसंबर, २०१२ के क्रम में उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम गोरणा की ज० वि० र० खतौनी
की श्रेणी १-३(ख)(२) (जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के
समूहों) खाता सं० १० जंगल के खसरा न०-०२, रकवा ४.९५१ हे०
मध्ये ४.००० हे० एवं खसरा सं०-२७१, रकवा ५.५५० हे० मध्ये ४.००० हे०
कुल रकवा ८.००० हे० भूमि को उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित/नामान्तरित
एवं अमलदरामद किया गया है, नकल ज० वि० र० खतौनी संलग्न
है,


D. S. I.
चोपता
26-06-2024

RK

